पुलिस जवान दे रहे स्कूली बच्चों व ग्रामवासियों को यातायात रथ के साथ नियमों की जानकारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। 31 वें राष्ट्रीय दिनांक 17.01.2020 को सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन के दिन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले में यातायात जागरूकता रथ को लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कराए जाने के उद्देश्य से रवाना किया गया था।

यह जागरूकता रथ प्रतिदिन एक थाना क्षेत्र में भ्रमणरत होता है। इस जागरूकता रथ के साथ यातायात थाने के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा राहगीरों, स्कूली बच्चों एवं ग्रामवासियों को यातायात नियमों के विषय में जानकारी देकर उनका पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे है।

इसी क्रम में दिनांक 21.01.2020 को यातायात जागरूकता रथ थाना चक्रधरनगर के ग्राम लोईंग, बनोरा, महापल्ली में तथा आज दिनांक 22.01.2020 को नहरपाली मोनेट रोड भूपदेवपुर, मदनपुर चौक खरसिया एवं नंदेली क्षेत्र में रहने वाले ग्रामवासियों एवं स्कूल बच्चों के मध्य पहुंची। यातायात थाने के प्रधान आरक्षक संजय तिवारी द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोइंग एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटरलिया तथा वहां के रहवासियों को यातायात नियमों की जानकारी देकर उनका पालन करने तथा यातायात दौरान दुर्घटना से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां जैसे तेज गति से वाहन न चलाने, हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, रात्रि में अपर डिपर लाइट का प्रयोग करने, सड़क पर दिए गए। यातायात संकेतों का पालन करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दिया गया, साथ ही उन्हें पाम्प्लेट एवं यातायात निर्देशिका का वितरण किया गया।

महत्वपूर्ण एवं खास

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2020

» मतदान केन्द्र में मोबाईल व कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट्स एवं अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाईस प्रतिबंधित

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2020 के अंतर्गत मतदान केन्द्र पर मतदान के सुचारू संचालन एवं गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से मोबाइल व कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट्स एवं अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। मतदान के दिन कोई भी व्यक्ति मोबाइल, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट्स एवं अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस मतदान केन्द्र के भीतर नहीं ले जा सकता है। निर्वाचन कार्य से संबद्ध ऐसे अधिकारी, जिन्हें मतदान केन्द्र में प्रवेश करने का प्राधिकार प्राप्त है वे अधिकारी आवश्यक संचार व्यवस्था के तहत मोबाइल आदि अपने साथ रख सकेंगे किन्तु किसी भी दशा में मतदान केन्द्र के भीतर उपयोग नहीं कर सकेंगे। पीठासीन अधिकारी निर्वाचन संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किया है। उन्होंने कहा है कि नेताजी स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी तथा प्रमुख नेताओं में से हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए उन्होंने ''तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा'' जैसे पौलादी नारों से लोगों का आव्हान कर उन्हें जागृत किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आजाद हिंद फौज के गठन के माध्यम से उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और अतुल्य योगदान के लिए नेताजी सदा याद किए जाएंगे।

कानूनी जागरूकता पर आधारित लघु फिल्मों को किया जाएगा सम्मानित

रायपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा कानूनी जागरूकता पर आधारित लघु फिल्म समारोह एवं प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 15 एवं 16 फरवरी को बिलासपुर में किया जाएगा। मानव तस्करी, बच्चों के अधिकार-बाल श्रम/बाल शिक्षा, नशा उन्मूलन एवं नशा पीड़ितों के पुनर्वास और सायबर क्राईम विषय पर आधारित इस शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता के लिए इच्छुकों से निर्धारित प्रारूप में प्रविष्ठियां मंगाई गई हैं। चयनित श्रेष्ठ फिल्मों को सम्मानित और एक लाख रूपए से पुरस्कृत भी किया जाएगा। बताया गया है कि एक से अधिक फिल्में जमा करने के लिए प्रत्येक फिल्म के लिए अलग पंजीयन प्रारूप भरना होगा, यद्यपि सभी फिल्मों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फिल्मों को एक ही लिफाफे में और एक ही पेन ड्राइव में भेजा जा सकता है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह का दौरा कार्यक्रम

रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम का 23 जनवरी को बिलासपुर, जांजगीर-चांपा जिले के प्रवास पर रहेंगे और वहां आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। डॉ. टेकाम 23 जनवरी को प्रातः 10.30 बजे रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड से हेलीकाप्टर द्वारा बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां 11 बजे से जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। डॉ. टेकाम दोपहर 12 बजे विकासखण्ड बिल्हा के ग्राम सेन्दरी में धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण और किसानों तथा उनके प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री दोपहर 1.30 बजे बिलासपुर से जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड बम्हनीडीह के ग्राम तालदेवरी के लिए प्रस्थान करेंगे।

प्रदेश में भू-जल संधारण हेतु नई जल दरें लागू

रायपुर। राज्य शासन द्वारा भू-जल का विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनों के उपयोग के लिए नई दरें लागू की गई है। जिन उद्योगों में भू-जल का उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं होता है उन उद्योगों के लिए नैसर्गिक जल स्त्रोत की जल दर से तीन गुना अधिक (15 रूपए प्रति घनमीटर) की गयी है।

हाऊसिंग बोर्ड के आवासीय कालोनी में जलकर के बकायादारों का कटेगा नल कनेक्शन

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा आज विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें मंडल के कार्यों तथा मंडल द्वारा निर्मित विभिन्न आवासीय कालोनियों के जलकर वसूली के संबंध में समीक्षा की गई। जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न आवासीय कालोनियों के हितग्राहियों को आगामी एक सप्ताह के भीतर बकाया जलकर की राशि जमा किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा 31 जनवरी 2020 के बाद जिन हितग्राहियों की जलकर की राशि बकाया होगी उनका नल कलेक्शन विच्छेद कर दिया जाएगा।

अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री मिले जागेश्वरी से, पूरा इलाज का दिलाया भरोसा

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव आज शाम रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल पहुंचकर दुर्लभ बीमारी से पीड़ित दंतेवाड़ा की बालिका जागेश्वरी से मिले और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों को जागेश्वरी के बेहतर से बेहतर उपचार के निर्देश दिए। श्री सिंहदेव ने उनके परिजनों को भरोसा दिलाया कि जागेश्वरी का गंभीरता से हरसंभव इलाज कराया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो उसे इलाज के लिए बाहर भी भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि जागेश्वरी की हालत में सुधार हो रहा है। उनके शरीर के छाले पहले की तुलना में अब कम दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल अधीक्षक डॉ. विनीत जैन को निर्देशित किया कि मासूम के इलाज में किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा एवं संसाधनों में कमी न होने दिया जाए। डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में 19 जनवरी से भर्ती जागेश्वरी को त्वचा रोग विभाग द्वारा अभी बीमारी के लक्षण के आधार पर लाक्षणिक उपचार दिया जा रहा है। डॉक्टरों ने उनके लक्षणों के आधार पर दो में से किसी एक बीमारी के होने का संदेह व्यक्त किया है।

स्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पत्रकार-वार्ता को किया संबोधित

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज यहां सिविल लाइन स्थित अपने निवास कार्यालय में पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा बस्तर में संचालित एक माह के मलेरियामुक्त बस्तर अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पत्रकार-वार्ता में श्री सिंहदेव ने बताया कि तीन चरणों में चलने वाले अभियान का पहला चरण अभी संचालित किया जा रहा है। मानसून के पहले जून में और मानसून के बाद नवम्बर में दूसरा और तीसरा चरण संचालित किया जाएगा। बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ को मलेरियामुक्त करने के लिए इस व्यापक अभियान को पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा।

लापरवाही पूर्वक वाहन चालक ने ठोकर मारी युवक की मौत जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। रात्रि दिनांक 20/01/2020 को भूलन माली पिता लोधर माली उम्र 46 वर्ष मडगांव थाना सेनहा जिला लोहरदगा झारखंड पानी टैंकर वाहन क्र. सीजी 12 एवाई2142 में डीजल डलवाने रमी पेट्रोल पंप टेरम, घरघोड़ा आया था। ड्रायवर टैंकर वाहन को पेट्रोल पंप में खड़ा कर लक्की ढाबा कंचनपुर खाना खाने गया था और खाना खाकर वापस जाते समय रात्रि 11- 12 बजे लक्की ढाबा के समाने धरमजयगढ मेन रोड में अज्ञात वाहन तेजी एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर ठोकर मारकर एक्सीडेन्ट कर दिया जिससे भूलन माली के सिर, पैर व बदन में चोंट आयी थी। आहत को उपचार के लिये 112 वाहन से सीएचसी घरघोडा ले जाकर भर्ती कराया गया था, जहां उपचार दौरान भूलन माली मौत हो गया। घटना के संबंध में थाना घरघोड़ा में अज्ञात वाहन चालक के विरूद्ध अप.क्र. 16/2020 धारा 304 ए भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

स्पंज आयरन व रूपये लेकर चालक फरार जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। बिहार बंगाल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक फुलेन्द्र सिंह निवासी कालिन्द्री कुंज द्वारा दिनांक 21.01.2020 को ट्रक क्रमांक सीजी 29/7888 के वाहन स्वामी वसीम रजा खान एवं उसके ड्रायवर के विरूद्ध 31,890 एमटी स्पंज आयरन कीमती 6,94,277 रूपये को गंतव्य पर न पहुंचाकर अमानत में खयानत करने की रिपोर्ट थाना पूंजीपथरा में दर्ज कराया गया है।

रिपोर्टकर्ता ने बताया कि छातामुडा बायपास रायगढ में इसकी बिहार बंगाल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी है। दिनांक 01.01.2020 को ट्रक क्रमांक सी जी 29 ए 7888 को सिंगल इंटरप्राईजेस पूंजीपथरा से से स्पंज आयरन लेकर गनपति स्पात रायपुर जाने के लिये अपने टांसपोर्ट के माध्यम से बिल्टी देकर भेजा था। जहां से उक्त ट्रक का चालक वजन 31890 एमटी स्पंज आयरन कीमती 694277 का स्पंज आयरन लेकर 02.01.2020 को रायपुर रवाना हुआ था जो 15.01.2020 तक गंतव्य स्थान नही पहुंची थी। तब वाहन के मालिक एवं चालक से मोबाईल से संपर्क किया मोबाईल बंद बताया फिर अपने लड़के वाहन स्वामी के पास भेजा वो भी सही जानकारी नही बताया।

अभी तक उक्त माल गंतव्य स्थान में नहीं पहुंचा है ट्रक का मालिक वसीम रजा एवं उसका ड्रायवर उक्त माल को कही अफरा तफरी कर दिया है, रिपोर्ट पर थाना पूंजीपथरा में अप.क्र. 13/2020 धारा 407,34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

जहर सेवन से फौत के मामले में महिला पर प्राथमिकी दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना छाल के मर्ग क्रमांक 4519 धारा 174 जा0फौ0 की जांच में पर आरोपिया श्रीमति कमला बाई राठिया पति भानु राठिया उम्र 26 साल निवासी पेलमा थाना कापू के विरूद्ध युवती को आत्महत्या के लिए विवश करने का अपराध घटित करना पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

जानकारी के अनुसार कमला बाई दिनांक 14.12.2019 को सुबह थाना छाल अन्तर्गत रहने वाली 19 वर्षीय युवती के घर आई और उसकी मां को उसकी बेटी का उसके पति के साथ अवैध संबंध है, कहकर बुरा-भला कहने लगी। युवती जब कालेज से घर आई तो उसे इस बात की जानकारी हुई और गांव में अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंधों की चर्चा और कमलाबाई के बातों से क्षुब्ध होकर युवती जहर सेवन कर ली, जिसका सिविल अस्पताल खरसिया में शाम करीब 18:20 बजे निधन हो गया। जांच पर आरोपिया कमला बाई के विरूद्ध थाना छाल में अप.क्र. 17/2020 धारा 306 भादवि दर्ज कर विवेचना मे लिया गया है।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2020

» सेक्टर अधिकारियों की बैठक 24 जनवरी को

न्याय साक्षी/रायगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2020 अंतर्गत जिले में प्रथम चरण का मतदान 28 जनवरी 2020 को (रायगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़ एवं तमनार), द्वितीय चरण का मतदान 31 जनवरी 2020 को (सारंगढ़ तथा बरमकेला) एवं तृतीय चरण का मतदान 3 फरवरी 2020 को (लैलूंगा, पुसौर एवं खरसिया)में होगा।

मकान में अवैध रूप से नशीली प्रतिबंधित कफ सिरप की छापेमारी

» अनूप अग्रवाल को 10 साल की सजा व 100000 का अर्थदंड

न्याय साक्षी/रायगढ़। माननीय विशेष न्यायाधीश (अ न त ग त एन.डी.पी.एस.एक्ट) दिनांक 22.01.2020 को विवेक कुमार तिवारी के न्यायालय में थाना सरिया के अपराध क्रमांक 85/2018 धारा 21ग एनडीपीएस एक्ट में आरोपी अनुप अग्रवाल पिता सुरेश अग्रवाल उम्र 34 साल निवासी सरिया, नदीगांव रोड थाना सारिया को अपने मकान में बगैर अनुज्ञप्ति एवं आज्ञापत्र के अवैध रूप से कोडीन युक्त eskuf cough Syrup रखने का आरोप सिद्ध पाते हुए आरोपी अनुप अग्रवाल को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व

रू100000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सरिया थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक विमल यादव द्वारा हमराह स्टाफ के साथ दिनांक 03-04-2018 को मुखबिर सूचना पर आरोपी के घर मकान अंदर से काटून में रखा हुआ eskuf cough Syrup 100 एमएल की 150 नग शीशी छापेमार कार्यवाही में बरामद किया गया था तथा प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना विमल यादव द्वारा की गई थी।

शासन की योजना का मिला लाभ, पट्टाधारक बने जमीन के मालिक

» कलेक्टर ने पट्टाधारकों को वितरित किए भूमि स्वामी अधिकार पत्र » तय राशि पटाने वाले पट्टाधारकों को मिला भूमि स्वामी हक

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज रायगढ़ नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 18 पट्टेधारियों को उनकी जमीन के भूमिस्वामी अधिकार पत्र प्रदान किये। पट्टेदारों को पूर्व से ही गैर रियायती स्थायी पट्टे प्राप्त थे जिसका शासन की नवीन योजना अंतर्गत प्रचलित गाइड लाइन दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करने पर उनको भूमि स्वामी हक दिया गया। इस अवसर पर कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि उक्त अधिकार प्राप्त होने से पट्टाधारकों को अब पट्टों के नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिसके लिए बार-बार कार्यालय आने में लगने वाले समय, परिश्रम व धन की बचत होगी। भूमि स्वामी हक प्राप्त यह जमीन डायवर्टेड भी होगी। जिसका उपयोग व्यक्ति भूमिस्वामी की हैसियत से कर सकेगा।

उन्होंने आगे बताया कि शीघ्र ही अतिक्रमित शासकीय भूखण्डों के व्यवस्थापन के संबंध में शासन द्वारा जारी नये दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में स्थित अतिक्रमित शासकीय भूमि का भूमिस्वामी हक प्राप्त करना चाहता है तो, प्रचलित गाइड लाइन दर पर बाजार मूल्य का 152 प्रतिशत राशि देकर भूमि स्वामी हक प्राप्त कर सकता है। उक्त राशि पटने पर जमीन का भूमि स्वामी हक प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा और राशि जमा करने के पश्चात वह पट्टे की भूमि के संबंध में राज्य शासन के पट्टेदार न होकर उसे आबंटित भूमि का पूर्णरूपेण भूमिस्वामी होगा। इस प्रकार की भूमि के संदर्भ में उन्हें ऐसा भूमिस्वामी अधिकार होगा, जो अधिकार एक निजी डायवर्टेड भूमि के भूमिस्वामी को प्राप्त होते है। अधिकार पत्र वितरण के अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ व नजूल अधिकारी आशीष देवांगन व पट्टाधारक उपस्थित रहे।

» शास.पालिटेक्निक महाविद्यालय में प्रातः 10 बजे से होगा कार्यक्रम

मतदाता दिवस कार्यक्रम 25 जनवरी को

न्याय साक्षी/रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 जनवरी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद के मुख्य आतिथ्य एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के विशिष्ट आतिथ्य में 10 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में देश के युवा दिव्यांग, सेवा मतदाता तथा महिला मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूकता हेतु किरोड़ीमल शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय रायगढ़ स्थित ऑडिटोरियम में प्रातः10 बजे से किया जाएगा।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता तिथि 1.1.2020 के दौरान एवं विशेष अभियान 2019 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक बूथ लेवल अधिकारी, जिले के एक प्राध्यापक नोडल अधिकारी को नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र तथा जिले के समस्त शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयों में नियुक्त 23 कैम्पस अम्बेसडरों एवं महाविद्यालयों में आयोजित नारा लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के समस्त मतदाताओं को मतदाता दिवस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने हेतु आग्रह किया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480